फैक्स

सेवा में:– होम कन्ट्रोल/डीजीपी कन्ट्रोल, लखनऊ/इण्ट कन्ट्रोल/अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ.प्र.लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ/आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर/पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर/जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर

प्रेषक :– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

पत्र संख्या:– एस0एम0सी0–सरा0कार्य/2022 दिनॉक: 02 जून, 2022

:: सराहनीय कार्य::

जनपद मुजफ्फरनगर में थाना कौतवाली नगर पुलिस द्वारा दौराने पुलिस कार्यवाही 01 शातिर गौकश/पशुचोर अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 01 तमन्चा मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर एवं 01 हीरो स्पलैण्डर मोटरसाइकिल बिना नम्बर बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में शातिर व वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द देव मिश्रा थाना कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.06.2022 को थाना कोतवाली नगर पर नियुक्त उ0नि0 श्री प्रवेश शर्मा मय हमराहीगण है0का0 366 अशोक खारी, है0का0 321 जितेन्द्र सिंह, का0 1033 सचिन तेवतिया, का0 191 तरुण, का0 76 सचिन व का0 636 प्रशान्त कुमार के थाना से रवाना होकर वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था गस्त व भ्रमण चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति मे मामूर थे। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम चौकी रुडकी चुंगी क्षेत्र में पहुंची तो जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि 02 संदिग्ध व्यक्ति बिना नम्बर की स्पलैण्डर मोटरसाइकिल पर पुलिस चौकी रुडकी चुंगी की तरफ से रोहाना की तरफ आ रहे हैं यदि जल्दी की जाए तो पकडे जा सकते हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम बामनहेडी मोड रूडकी रोड पर चेकिंग करने लगे कुछ समय पश्चात बिना नम्बर काले रंग की स्पलैण्डर मोटरसाइकिल पर 02 व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस टीम ने टार्च की रोशनी दिखा कर रोकने का प्रयाश किया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने खुद को घिरा समझ कर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया तथा मोटरसाइकिल बामनहेडी गाँव की तरफ भगा दी। बदमाशों द्वारा किये गये फायर से पुलिस टीम बाल बाल बची। पुलिस टीम द्वारा कंट्रोल रुम को सूचना देते हुए बदमाशो का पीछा किया गया, कुछ दूर जाकर मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गयी। पुलिस टीम जैसे ही बदमाशो की नजदीक पहुंची तो बदमाशो ने पुनः पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिससे पुलिस टीम बाल–बाल बची। पुलिस टीम द्वारा बदमाशो को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया परन्तु बदमाशों द्वारा पुनः पुलिस बल पर फायरिंग की गयी तत्पश्चात थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग की। कुछ देर बाद बदमाशो की तरफ से फायरिंग बंद हो गयी, पुलिस टीम द्वारा सिखलाये हुए तरीके से आगे बढकर देखा तो 01 बदमाश सडक के किनारे ट्यूबवैल की कोठरी के पास घायल अवस्था में पडा है, जिसकी बांयी टांग मे घुटने से नीचे खून बह रहा है तथा दूसरा बदमाश भाग गया जिसका पीछा पुलिस टीम द्वारा किया गया परन्तु परन्तु बदमाश अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।घायल/गिरफ्तार अभियुक्त को प्राथमिक उपचार देकर, जामातलाशी लेते हुए नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम **फरमान पुत्र अनवार निवासी फक्करशाह चौक खालापार हाल पता म0नं0 416 महफूज मस्जिद के पास खादरवाला थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर** बताया तथा भागे हुए साथी का नाम **फरीद पुत्र नामालूम निवासी गहरा बाग थान कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर** बताया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से **01 तमन्चा मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर तथा 01 काले रंग की हीरो स्पलैण्डर मोटरसाइकिल बिना नम्बर बरामद** की गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0–316/22 धारा–307 भादवि, मु0अ0सं0–317/22 धारा–3/25/27 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किये गये। पंजीकृत अभियोगों की विवेचना उ0नि0 श्री जोगेन्द्रपाल सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:–

- फरमान पुत्र अनवार निवासी फक्करशाह चौक खालापार हाल पता म0नं0 416 महफूज मस्जिद के पास खादरवाला थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

फरार अभियुक्त का नाम व पता:–

- फरीद पुत्र नामालूम निवासी गहरा बाग थान कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त फरमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:–

1. मु0अ0सं0 256/11 धारा 356 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर।
2. मु0अ0सं0 746/11 धारा 3 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
3. मु0अ0सं0 453/11 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
4. मु0अ0सं0 749/12 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
5. मु0अ0सं0 759/12 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
6. मु0अ0सं0 760/12 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
7. मु0अ0सं0 145/16 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
8. मु0अ0सं0 146/16 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
9. मु0अ0सं0 2052/16 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
10. मु0अ0सं0 815/17 धारा 3 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
11. मु0अ0सं0 1024/17 धारा 452/323/386/504/506/34 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
12. मु0अ0सं0 1161/17 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
13. मु0अ0सं0 1168/17 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
14. मु0अ0सं0 1179/17 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
15. मु0अ0सं0 901/18 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
16. मु0अ0सं0 1678/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
17. मु0अ0सं0 1097/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
18. मु0अ0सं0 309/21 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
19. मु0अ0सं0311/21 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
20. मु0अ0सं0 457/20 धारा 307/414 भादवि थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।
21. मु0अ0सं0 474/21 धारा 380/457 भादवि थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।
22. मु0अ0सं0 475/21 धारा 307/411 भादवि थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।
23. मु0अ0सं0 478/21 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।
24. मु0अ0सं0 316/22 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
25. मु0अ0सं0 317/22 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरणः—

- 01 तमन्चा मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर।
- 01 काले रंग की हीरो स्पलैण्डर मोटरसाइकिल बिना नम्बर।

गिरफ्तार करने वाली टीम :—

- ➢ उ0नि0 श्री प्रवेश शर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
- ➢ है0का0 366 अशोक खारी, थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
- ➢ है0का0 321 जितेन्द्र सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
- ➢ का0 1033 सचिन तेवतिया, थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
- ➢ का0 191 तरुण, थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
- ➢ का0 76 सचिन थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
- ➢ का0 636 प्रशान्त कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

नोटः— घायल/गिरफ्तार अभियुक्त फरमान उपरोक्त गौकश/पशुचोर प्रवृति का अपराधी है, अभियुक्त द्वारा घटना किये जाने का जुर्म इकबाल किया गया है। अभियुक्त को बाद उपचार जेल भेजा जाएगा।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है ।

2/6

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
मुजफ्फरनगर